



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16542

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41799 वर्ष 2025

सतीश कुमार पाठक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अरविंद कुमार, गौरव मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि समान परिस्थितियों वाले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सह-आरोपी, बृज कुमार मिश्रा उर्फ शुभम मिश्रा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 09.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6521/2024 में पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसकी प्रति पूरक हलफनामे के पृष्ठ संख्या 13 पर है, जिसे आज न्यायालय में दाखिल किया गया है और रिकॉर्ड में ले लिया गया है। अतः यह तर्क दिया गया है कि आवेदक समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य निवेदन भी न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपियों को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष पूरी निष्ठा से उपस्थित रहेगा। साथ ही, वह न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक आगे यह निवेदन करता है कि वह 27.03.2022 से जेल में बंद है।

3. विद्वान एजीए ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है और उनका कहना है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। हालांकि, वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समानता के संबंध में दिए गए तर्कों से असहमत नहीं हो सके।

4. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक सतीश कुमार पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 404 के तहत मा मुकदमा अपराध संख्या 93/2022 में, पुलिस स्टेशन घूरपुर, जिला प्रयागराज में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय को कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

21 जनवरी 2026

एस.अली

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।